भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3192

(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाईजी के अंतर्गत पात्रता

3192. श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या**ग्रामीण विकास**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) शुरू की गई थी और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या पात्रता निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना में आरक्षित वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी गई है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): जी, हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में ''सभी के लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्च , 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के समग्र लक्ष्य के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। 2.95 करोड़ मकानों के अधिदेशित लक्ष्य में से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 2.93 करोड़ मकान पात्र लाभार्थियों को पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 02.08.2023 की स्थिति के अनुसार 2.41 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है।

(ख): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के दायरे में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) – 2011 और आवास+ , 2018 के सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार सभी आवासहीन और कच्ची दीवार तथा कच्ची छत (कच्चे मकान) वाले शून्य, एक या दो कमरों में रहने वाले परिवार शामिल हैं। इन लाभार्थियों का निर्धारण आवास वंचन मानदण्डों और एसईसीसी , 2011 में

निर्धारित बहिर्वेशन मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। ये मानदण्ड एसईसीसी , 2011 और आवास+, 2018 के सर्वेक्षण आंकड़े दोनों पर लागू होते हैं और इसके बाद इनका आगे संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा विधिवत सत्यापन किया जाता है और अपीलीय प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की जा सके।

(ग): जी, हां। पीएमएवाई-जी दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों का न्यूनतम 60% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आवंटित करने का प्रावधान है।

(घ): मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत और 02.08.2023 की स्थिति के अनुसार बनाए गए मकानों का राज्य-वार ब्यौरा**अनुलग्नक**में दिया गया है।

(ड.): पीएमएवाई-जी में आने वाली कुछ अड़चनों/कठिनाइयों के कारण इस योजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ। कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों/कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की समय-सीमा को मार्च , 2024 तक बढ़ा दिया था।इसके बाद इस योजना के अंतर्गत बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सफलता मिली और मंत्रालय 31 मार्च, 2023 तक 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(च): मंत्रालय पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मकानों का निर्माण कार्य समय पर संपन्न करना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहल कर रहा है:

i. मंत्रालय के स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
ii. इस योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड का शुभारंभ.
iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्यों का आबंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।
iv. केन्द्रीय और राज्य अंश की निधियों की रिलीज और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और जिलों को पुरस्कारदेकरनिर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना।

*****

अनुलग्नक

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पात्रता के संबंध में लोक सभा में दिनांक 08.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3192 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित लक्ष्यों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पात्र लाभार्थियों को स्वीकृत और 08.08.2023 की स्थिति के अनुसार बनाए गए मकानों का राज्य-वार ब्यौरा:

(इकाई संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य**	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान**	**बनाए गए मकान**
1	अरुणाचल प्रदेश	36,241	36,236	19,005
2	असम	19,10,997	19,09,646	15,44,086
3	बिहार	37,03,355	37,02,782	36,15,838
4	छत्तीसगढ़	11,76,146	11,76,146	8,66,144
5	गोवा	257	257	180
6	गुजरात	6,07,515	6,06,486	4,25,996
7	हरियाणा	29,441	29,441	26,292
8	हिमाचल प्रदेश	15,457	15,457	14,397
9	जम्मू और कश्मीर	3,42,575	3,39,246	1,66,990
10	झारखंड	15,92,553	15,92,489	15,36,632
11	केरल	35,189	35,187	30,881
12	मध्य प्रदेश	38,02,248	38,01,909	35,91,911
13	महाराष्ट्र	14,02,333	13,95,808	11,70,706
14	मणिपुर	1,04,897	83,315	28,943
15	मेघालय	1,88,533	1,88,529	37,840
16	मिजोरम	29,967	29,967	7,284
17	नागालैंड	49,062	49,058	7,930
18	ओडिशा	27,48,459	27,40,974	17,21,993
19	पंजाब	40,326	40,326	34,662
20	राजस्थान	17,19,638	17,19,137	16,69,936
21	सिक्किम	1,409	1,409	1,171
22	तमिलनाडु	7,83,488	7,77,864	5,46,295
23	त्रिपुरा	3,77,533	3,77,481	2,33,131
24	उत्तर प्रदेश	36,15,149	35,83,291	32,49,488
25	उत्तराखंड	46,792	46,783	33,623
26	पश्चिम बंगाल	45,70,082	45,70,072	34,05,514
27	अण्डमान और निकोबार	3,429	3,430	1,223
28	दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दीव	12,279	11,738	3,720
29	लक्षद्वीप	45	53	44
30	पुदुचेरी*	-	-	-
31	आंध्र प्रदेश	2,46,435	2,46,430	55,045
32	कर्नाटक	3,05,129	2,45,161	1,19,600
33	तेलंगाना*	-	-	-
34	लद्दाख	3,041	3,041	1,436
	कुल	2,95,00,000	2,93,59,149	2,41,67,936

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

****